न्यायालय माननीय राजस्व मंडल महोदय, ग्वालियर म.प्र

(2)

पुनरीक्षण प्रकरण क्रं. :-

पेशी तारीख :-

PBR/निगरानी/बुरहानपुर/भू.रा./2017/3495

प्रमोद पिता राजाराम महाजन निवासी वार्ड नं. 12, ग्राम शाहपुर तहसील व जिला बुरहानपुर म.प्र. .....पुनरीक्षणकर्ता

विरूद्ध

श्रीमान अनुविभागीय अधिकारी बुरहानपुर म.प्र.

..... प्रत्यर्थी

पुनरीक्षण याचिका अंतर्गत धारा 50 म.प्र.भू.रा.सं.

पुनरीक्षणकर्ता निवेदन करता है :-

पुनरीक्षणकर्ता द्वारा यह पुनरीक्षण याचिका अधिनस्थ न्यायालय श्रीमान अनुविभागीय अधिकारी महोदय बुरहानपुर के द्वारा तहसीलदार बुरहानपुर के राजस्व प्रकरण क्रं. 97अ/6/2014-15 (प्रमोद महाजन ..... आवेदक विरूद्ध श्रीमती गीताबाई पति नारायण .... अनावेदिका) में पारित किये गये आदेश दिनांक 10/08/2015 का कलेक्टर महोदय बुरहानपुर के तथाकथित पत्र दिनांक 15/07/2016 के आधार पर पुनर्विलोकन किये जाने की अनुमति देने संबंधी पारित किये गये आदेश दिनांक 04/07/2017 से दुखी पीड़ित होकर प्रस्तुत की गई हैं।

प्रमोद / SD6

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक PBR/निग/बुरहानपुर/भू.रा./2017/3595 जिला **बुरहानपुर**

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
1–11–2017	आवेदकपक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्को पर विचार किया गया । अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश दिनांक 4–7–2017 की सत्यप्रतिलिपि का अवलोकन किया गया । अनुविभागीय अधिकारी द्वारा स्पष्ट निष्कर्ष निकालते हुये की सीलिंग की भूमि को न तो दान करने का और ना ही विकय करने का अधिकार रहता है । अतः तत्कालीन तहसीलदार द्वारा दानपत्र के आधार पर नामान्तरण करने में विधि विपरीत कार्यवाही की गई है इसलिये तहसीलदार के आदेश दिनांक 10–8–2015 के पुनर्विलोकन की अनुमति देने में प्रथमदृष्टया विधिसंगत कार्यवाही की गई है, अतः यह निगरानी आधारहीन होने से अग्राह्य की जाती है । (मनोज गोयल) **अध्यक्ष**	